संख्या : 2-एक(10)/XXXVI(1)/2006-563/01

प्रेषक,

यू०सी०ध्यानी,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन, देहरादून ।

सेवा में,

अपर निदेशक,
उत्तरांचल न्यायिक एवं विधिक अकादमी,
भवाली, नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 1 देहरादून : दिनांक : 21 फरवरी, 2006

विषय: उत्तरांचल न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल के लिए सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल के लिए शासनादेश संख्या 1-एक(10)/छत्तीस(1)/2005-563/01, दिनांक 31.10.2005 द्वारा सृजित 45 अस्थायी पदों की निरन्तरता वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन यदि वे बिना किसी पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाए दिनांक 1.3.2006 से 28.2.2007 तक बढ़ाये जाने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2. उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-09-उत्तरांचल न्यायिक एवं विधिक अकादमी-00"के सुसंगत प्राथमिक ईकाइयों के नामे डाला जायेगा ।

भवदीय,

(यू०सी०ध्यानी)
सचिव ।

संख्या: 2-एक(10)/XXXVI(1)/2006-563/01-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) उत्तरांचल, माजरा, देहरादून ।
2. महानिबन्धक, मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
4. वित्त अनुभाग-5/नियुक्ति अनुभाग/एन.आई.सी./गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव ।